

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227861

पटना, दिनांक 13/04/2015

ग्रा.वि.-14(पू0)अर0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री महफूज आलम (1973/1999),
जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, भरगामा, अररिया)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप भरगामा प्रखंड (जिला-अररिया) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
1387.25672	₹ 1900541.7

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 1387.25672 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
प्रदीप कुमार,
सचिव

65

New Delhi
Dated 27 December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards
the implementation of NREGA in Districts identified.*

59/ 40

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) will merge in such identified Districts with the Employment Guarantee Scheme once NREGA comes into force in this regard. Following decision of the Government taken by the Government of Bihar in order to facilitate smooth transition from the SGRY and NFFWP towards NREGA in the identified Districts, you are being requested to take the necessary steps in this regard.

1. If the NREGA is notified in any area in the concerned financial year, the process of demand registration will start according to the Act with the Guidelines. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work done by those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows the State Government to notify its EGS, the Act or the Plan or the Project or the SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP districts identified under NREGA, additional funds for carrying on works on NFFWP pattern are being released separately. Rs. 100 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

Handwritten signature and date: 28/11/05

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

58
11/05

Contd...2/-

राज्य रोजगार विभाग
राज्य विकास विभाग
क: न. नं. नं. नं. नं.
राज्य रोजगार विभाग

जिला का नाम:- अररिया

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुलीय राशि	वसुली गई राशि	अवशेष राशि	
क्रम सं०	पंचायत सभिति/ प्रखंड का नाम:-	पखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुलीय राशि	वसुली गई राशि	अवशेष राशि
1	2	श्री शिव शंकर मिश्रा (1973/2011)	3	4	5	6	7	8
1	श्री बालमीकि प्रसाद	6290.41	4666	1624.41	2225441.7	324900	1900541.7	127957445.3
2	श्री कृष्णा चौधरी	94549.76	2484.86	3404258.2	0	3404258.2		
3	श्री जीण्डो दास							
1	2	श्री जफर रकीब(1973/1999)	3	4	5	6	7	8
1	भरगामा	41747.82	10581.53	31166.29	42697817.3	111971	42585846.3	
2	अररिया	11067.29	9903.81	1163.48	1593967.6	108058	1485909.6	
3	फारुखसंग	15553.52	7704.56	7848.96	10753075.2	54440	10698635.2	
4	जोकिहाट	21564.56	6989.42	14575.14	19967941.8	238553	19729388.8	
5	कुर्साकांटा							
6	नरपतगंज	7084.32	5760.39	1323.93	1813784.1	167277	1646507.1	
7	पलासी	52544.4	20469.36	32075.13	43942928.1	154493.9	43788434.2	
8	रानीगंज	6068.72	3781.16	2287.56	3133957.2	416033	2717924.2	
9	सिकंदी							
	Grand Total	161921.04	69856.23	94549.76	129533171.2	1575725.9	127957445.3	